सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 07/2018

पीठासीनअधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

♠बनाम♠

समस्त ग्रामवासियान **प्रान्हेडा** तहसील केकडी जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-क

निर्णय दिनांक 11.5.18

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प प्रान्हेडा में पेश हुई। वादी प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभय पक्षों को सुना गया, संक्षेप मे विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाद ग्रस्त आराजी वाके **ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी** की जमाबन्दी संख्या **2069 से 2072** के खाता संख्या 1में दर्ज **खसरा नम्बर 1950 , 1951,1954,1955 क्रमशः रकबा 0.10, 0.07, 0.18, 0.20 है. किस्म बारानी 3** भूमि दर्ज है। भूमि जो **सरकारी खाते** मे सिवायचक भूमि दर्ज है,।

अतः वादग्रस्त भूमि रास्ते मे काम मे आ रही है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया । अप्रार्थीगण हाजिर न्यायालय में हुआ तथा अप्रार्थीगण ने मौके पर रास्ते के काम आने वाली आराजी का रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने में सहमति प्रंतिवादी ने दी है।

अतः प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी वाके **ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी** की जमाबन्दी संख्या **2069 से 2072** के खाता संख्या 1में दर्ज **खसरा नम्बर 1950,1951,1954,1955 क्रमशः रकबा 0.10, 0.07, 0.18, 0.20 है. किस्म बारानी 3** ***को रास्ता दर्ज करने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सार्वजनिक उपयोग में आने जाने के उपयोग में स्वीकार किया जाताहै । तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखाजावें।***

आदेश आज दिनांक 11.5.2018 को पृथक से लिखा जाकर लोक अदालत न्याय आपके द्वार **केम्प प्रान्हेडा** मज में आम में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी